ईरान में 20 से ज्यादा मौतें, 582 गिरफ्तार

सत्ता विरोधी आंदोलन और हिंसक प्रदर्शन

तेहरान, ईरान, 5 जनवरी. ईरान में सत्ता विरोधी आंदोलन और हिंसक प्रदर्शन लगातार बढ़ रहे हैं. रिपोर्ट के अनुसार अब तक 20 से अधिक लोग मारे गए और 580 से ज्यादा लोग गिरफ्तार हुए हैं.

देश के 25 प्रांतों में प्रदर्शन जारी हैं. इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने ईरान को चेतावनी दी है कि अगर नागरिकों पर दमन किया गया तो अमेरिका कड़ा कदम उठाएगा. निर्वासित राजकुमार रजा पहलवी ने भी प्रदर्शनकारियों का समर्थन करते हुए आंदोलन जारी रखने की अपील की है. ईरान में पिछले दिनों शुरू हुए विरोध प्रदर्शन अब हिंसक रूप लेने लगे हैं. रिपोर्टों के अनुसार अब तक कम से कम 17 लोगों की मौत हुई है, जबकि 582 से अधिक नागरिकों को गिरफ्तार किया गया है. संगठन के आंकड़ों के मुताबिक, ईरान के 31 प्रांतों में से 25 प्रांतों के 170 से अधिक स्थानों पर प्रदर्शन जारी हैं. विरोध प्रदर्शन के दौरान छात्रों और नागरिकों ने महंगाई, बेरोजगारी और सत्ता विरोधी नीतियों के खिलाफ आवाज उठाई. अगर प्रदर्शन उनकी सुरक्षा एजेंसियों के नियंत्रण से बाहर चले गए और शासन अस्थिर हो गया.

आंदोलनकारियों पर दमन बर्दाश्त नहीं : ट्रम्प

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने ईरान में चल रहे सत्ता विरोधी आंदोलन के दमन को लेकर ईरान को चेतावनी दी है. श्री ट्रम्प ने पत्रकार के एक सवाल के जवाब में कहा इस पर हमारी करीबी नजर है. पहले की तरह अगर वे लोगों को मारना शुरू करते हैं तो मुझे लगता है कि अमेरिका उन पर कड़ा प्रहार करेगा. एक अमेरिकी मानवाधिकार समूह की रिपोर्ट के अनुसार, ईरान में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं. ये आंदोलन ईरान के 26 प्रांतों के 78 शहरों में फैल चुका है.

संगीत सोम को बम से उड़ाने की धमकी

लखनऊ। 05 जनवरी सरकारी मोबाइल पर धमकी मिलने से भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक संगीत सोम को लेकर हड़कंप मच गया है। सोमवार सुबह करीब 8 बजे उनके सरकारी मोबाइल नंबर पर बंगला भाषा में एक धमकी भरा संदेश प्राप्त हुआ, जिसमें उन्हें बम से उड़ाने की बात कही गई। इसी मैसेज में एक भारतीय न्यूज चैनल को भी उड़ाने की धमकी दी गई है। धमकी मिलने के तुरंत बाद संगीत सोम ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और उस मोबाइल नंबर की जानकारी उपलब्ध कराई.

11 जनवरी को सोमनाथ मंदिर जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

नई दिल्ली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 जनवरी को गुजरात के सोमनाथ मंदिर का दौरा करेंगे. इस दौरान वे 8 से 11 जनवरी तक आयोजित चार दिवसीय सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के समापन समारोह में भाग लेंगे.

अधिकारियों के अनुसार, इस अवसर पर स्वाभिमान पर्व के अंतर्गत वर्षभर चलने वाले विभिन्न सांस्कृतिक और सामाजिक कार्यक्रमों की औपचारिक शुरुआत भी की जाएगी. सोमनाथ स्वाभिमान पर्व का उद्देश्य भारत की प्राचीन सांस्कृतिक विरासत, धार्मिक आस्था और राष्ट्रीय आत्मसम्मान की भावना को सशक्त करना है. आयोजन के दौरान धार्मिक अनुष्ठान, आध्यात्मिक प्रवचन व सामाजिक जागरूकता से जुड़े कार्यक्रम होंगे, जिनमें देशभर से संत-महात्मा व श्रद्धालु शामिल हो रहे हैं. प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट और स्थानीय प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं. सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की जा रही है. श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए यातायात, स्वच्छता व स्वास्थ्य सेवाओं पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है.

पीएम के चादर चढ़ाने पर रोक की मांग खारिज

नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने अजमेर स्थित सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर सालाना उर्स के दौरान प्रधानमंत्री और अन्य संवैधानिक पदों पर बैठे व्यक्तियों की ओर से चादर चढ़ाने की परंपरा पर रोक लगाने की मांग को खारिज कर दिया है. अदालत ने स्पष्ट किया कि यह मुद्दा संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत विचार योग्य नहीं है. भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने कहा कि इस मामले में दायर याचिका स्वीकार करने का कोई आधार नहीं बनता. साथ ही कोर्ट ने यह भी साफ किया कि सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों का अजमेर की निचली अदालत में लंबित किसी भी मामले पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा.

यह याचिका विश्व वैदिक सनातन संघ के प्रमुख जितेंद्र सिंह बिसेन द्वारा दायर की गई थी.

सुशील मोदी की प्रतिमा का किया अनावरण

पटना, 05 जनवरी. बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार कोपूर्व उप मुख्यमंत्री पद्मभूषण स्व. सुशील कुमार मोदी की आदमकद प्रतिमा का अनावरण किया और पुष्प अर्पित कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी.

मुख्यमंत्री श्री कुमार आज राजेंद्र नगर स्थित सुशील मोदी स्मृति पार्क में स्व. सुशील कुमार मोदी की जयंती समारोह में शामिल हुये. इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने स्व. सुशील कुमार मोदी की आदमकद प्रतिमा का अनावरण किया और उन्हें पुष्प अर्पित कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी. मुख्यमंत्री श्री कुमार इसके बाद श्रीकृष्ण मेमोरियल हॉल में आयोजित स्व.सुशील कुमार मोदी के जयंती कार्यक्रम में शामिल हुये. इस दौरान मुख्यमंत्री ने स्व. सुशील कुमार मोदी के तैलचित्र पर पुष्प अर्पित कर अपनी श्रद्धांजलि दी. इस अवसर पर केन्द्रीय मंत्री श्री गिरिराज सिंह, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, बिहार विधान सभा अध्यक्ष डॉ.प्रेम कुमार, जल संसाधन सह संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पाण्डे, उद्योग मंत्री डॉ.दिलीप कुमार जायसवाल, सांसद राधामोहन सिंह, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी, भाजपा के संगठन महामंत्री भीखू भाई दलसानिया, बिहार भाजपा प्रभारी विनोद तावड़े ने भी पुष्प अर्पित कर अपनी श्रद्धांजलि दी.

केजरीवाल ने मनीष सिसोदिया को दी जन्मदिन की बधाई

नई दिल्ली, 05 जनवरी. दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने मनीष सिसोदिया के जन्मदिन पर उन्हें हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं.

केजरीवाल ने एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर पोस्ट साझा करते हुए कहा कि मनीष ने राजनीति में ईमानदारी और सादगी के साथ शिक्षा क्षेत्र में अनूठा योगदान दिया है. उन्होंने बच्चों के भविष्य और आम आदमी के सपनों को हर चुनौती में प्राथमिकता दी. यह संदेश मनीष के समर्पण और उनके काम के महत्व को दर्शाता है. आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपने सहयोगी और उपमुख्यमंत्री रहे मनीष सिसोदिया को उनके जन्मदिन पर विशेष बधाई दी. केजरीवाल ने एक्स पर साझा किए गए संदेश में लिखा कि देश की राजनीति में ईमानदारी और सादगी के साथ शिक्षा के क्षेत्र में मनीष का समर्पण एक मिसाल है. उन्होंने कहा कि मनीष ने हर मुश्किल परिस्थिति में बच्चों के भविष्य और आम आदमी के सपनों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी.

पूरा जम्मू-कश्मीर भारत का हिस्सा बने : बॉब

जयपुर/लंदन 5 जनवरी. ब्रिटेन के सांसद बॉब ब्लैकमैन ने एक बार फिर पूरे जम्मू-कश्मीर को भारत में मिलाए जाने की वकालत करते हुए पाकिस्तान के कब्जे को अवैध बताया है. जयपुर में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि वह दशकों से जम्मू-कश्मीर से जुड़े इस मुद्दे पर मुखर रहे हैं और अनुच्छेद 370 हटाए जाने के भी लंबे समय से समर्थक रहे हैं. समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार, ब्लैकमैन ने कहा कि उन्होंने सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अनुच्छेद 370 हटाने के बाद नहीं, बल्कि वर्ष 1992 में ही इसके खिलाफ आवाज उठाई थी, जब कश्मीरी पंडितों को उनके घरों से विस्थापित किया जा रहा था.

अपने व्यापार को दें नई ऊंचाइयां
नवभारत के माध्यम से

कार्यालय सिविल सर्जन
सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक जिला धार (म. प्र.)

क्र./आर.के.एस./2026/10 धार, दिनांक 01/01/2026

चतुर्थ ई-निविदा सूचना

धार के भोज जिला चिकित्सालय में उपचार हेतु आने वाले हितग्राहियों एवं उनके परिजनों के वाहन पार्किंग सुविधा हेतु ई-टेण्डर द्वारा रोगी कल्याण समिति के माध्यम से आउटसोर्सिंग एजेंसी का चयन किया जाना है। अतः विज्ञप्ति प्रकाशन से 15 कार्यदिवस तक वाहन पार्किंग संबंधी निविदा व्यवस्था आउट सोर्सिंग द्वारा किये जाने हेतु सील बंद निविदाएं आमंत्रित की जाती है। इच्छुक निविदाकार 500/- का निविदा शुल्क ऑनलाइन जमा कर ऑनलाइन निविदा प्राप्त कर सकता है। निविदा प्रपत्र विभाग की वेबसाइट www.mptenders.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है।

G23943/25

सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक
जिला धार (म.प्र.)

दिल्ली में फरार हुआ कैदी गिरफ्तार

नई दिल्ली, 05 जनवरी. दिल्ली पुलिस ने सोमवार को आजीवन कारावास के एक ऐसे दोषी को गिरफ्तार किया जो दिल्ली उच्च न्यायालय में अपील खारिज होने के बाद जमानत तोड़कर फरार हो गया था. एक पुलिस अधिकारी ने यह जानकारी दी है. पुलिस के अनुसार भीम महतो को 2002 में नबी करीम पुलिस स्टेशन में दर्ज एक मामले में अपने भाई किशन महतो की 1999 में हुई उसे तीस हजारी के एक सत्र न्यायालय द्वारा आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी लेकिन बाद में उच्च न्यायालय में उसकी अपील लंबित रहने के दौरान वह जमानत पर रिहा हुआ था. दिल्ली उच्च न्यायालय ने 30 अक्टूबर को महतो की अपील खारिज कर दी.

आज का इतिहास

1664-छत्रपति शिवाजी महाराज ने सूरत पर हमला किया.

1883-विश्व के श्रेष्ठ चिंतक महाकवि के रूप में ख्याति प्राप्त करने वाले महान दार्शनिक ख़लील जिब्रान का जन्म.

1929-मदर टेरेसा भारत में उपेक्षित और ग़रीब लोगों की सेवा करने के लिये कलकत्ता (अब कोलकाता) लौटी.

1932-हिन्दी के प्रसिद्ध साहित्यकार कमलेश्वर का जन्म.

1947-भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस कमेटी ने भारत का विभाजन स्वीकार किया.

1950-ब्रिटेन ने चीन की कम्युनिस्ट सरकार को मान्यता प्रदान .

1976-चीन ने लोप नोर क्षेत्र में परमाणु परीक्षण किया.

1980-सातवीं लोकसभा चुनाव में इंदिरा गांधी की नेतृत्व वाली कांग्रेस पार्टी को दो तिहाई बहुमत मिला.

1983-भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को पहली बार आंध्र प्रदेश और कर्नाटक विस चुनावों में हार का सामना करना पड़ा.

1989-इंदिरा गांधी की हत्या के दोनों दोषियों सतवंत सिंह और केहर सिंह को फाँसी दी

कार्यालय उज्जैन नगर पालिक निगम, उज्जैन

छत्रपति शिवाजी भवन आगर रोड उज्जैन

(Online) निविदा आमंत्रण सूचना

विज्ञप्ति क्र./ शि.वि./2025/08 उज्जैन, दिनांक 02/01/2026

निम्नांकित कार्य के लिए प्रपत्र 'अ' (फार्म ए) में प्रतिशत कम या अधिक के आधार पर प्रमुख अभियंता लोक निर्माण विभाग म प्र. शासन भोपाल के कार्यालय में पंजीकृत ठेकेदारों से उक्त विभाग में पंजीयन प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने पर ऑनलाईन (Online) निविदा आमंत्रित की जाती हैं, तथा ठेकेदार की (श्रेणी सी) एम.पी. गर्वमेंट व नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग म.प्र. भोपाल के एस.ओ.आर. 02.08.2021 अनुसार सिरियल क्र. 1 का टेण्डर फार्म मूल्य 1000/-, सिरियल क्र. 2 से 9 तक का टेण्डर फार्म मूल्य 2,000/- रहेगा।

सिरियल क्र. 1 से 6 तक का ऑनलाईन क्रय करने की अंतिम दिनांक 14.01.2026 समय 17:30, ऑनलाईन ई.एम.डी. राशि एवं समस्त दस्तावेज Submission करने की अंतिम दिनांक 14.01.2026 समय 17:30 रहेगी। सिरियल क्र. 1 से 17 तक का की ऑनलाईन निविदा दिनांक 16.01.2026 समय 11:00 बजे खोली जावेगी।

सिरियल क्र. 7 से 8 तक का ऑनलाईन क्रय करने की अंतिम दिनांक 15.01.2026 समय 17:30, ऑनलाईन ई. एम. डी. राशि एवं समस्त दस्तावेज Submission करने की अंतिम दिनांक 15.01.2026 समय 17:30 रहेगी। सिरियल क्र. 1 से 17 तक का की ऑनलाईन निविदा दिनांक 16.01.2026 समय 18:00 बजे खोली जावेगी।

सिरियल क्र. 9 तक का ऑनलाईन क्रय करने की अंतिम दिनांक 30.01.2026 समय 17:30, ऑनलाईन ई.एम.डी. राशि एवं समस्त दस्तावेज Submission करने की अंतिम दिनांक 30.01.2026 समय 17:30 रहेगी। सिरियल क्र. 1 से 17 तक का की ऑनलाईन निविदा दिनांक 02.02.2026 समय 11:00 बजे खोली जावेगी।

विस्तृत निविदा आमंत्रण सूचना एवं अन्य जानकारी वेबसाइट www.mptenders.gov.in पर देखी जा सकती हैं। यदि उपरोक्त निविदा में किसी प्रकार का संशोधन होता है तो इसकी सूचना ऑन लाईन दी जावेगी । पृथक से समाचार पत्रों में प्रकाशित नही की जावेगी।

क्र.	टेंडर क्रमांक	कार्य का नाम	अनुमानित लागत	अर्नस्ट मनी रू.	समयावधि
1	3	4	5	6	7
1	2025_UAD_471950_1	वार्ड क्र. 52 अंतर्गत राजीव गांधी नगर स्थित सार्वजनिक सामुदायिक भवन की छत मरम्मत तथा वाटरप्रुफिंग कार्य ।	167453/-	3350/-	30 दिन
2	2025_UAD_470222_1	वार्ड क्र.46 अंतर्गत विभिन्न स्थानो पर पेवर ब्लॉक लगाने बाबत।	254000/-	2540/-	30 दिन
3	2025_UAD_471920_1	वार्ड क्र. 53 स्थित पुलिस लाईन मे प्रा. शा. विद्यालय भवन का शेष बचा कार्य ।	251442/-	33900/-	60 दिन
4	2025_UAD_418353_5	वार्ड क्रमांक 44 अंतगत विभिन्न मार्गो पर डामरीकरण कार्य।	1694380/-	33900/-	60 दिन
5	2025_UAD_418417_5	वार्ड क्रमांक 50 के विभिन्न सेक्टर्स में नाली निर्माण कार्य ।	508410/-	10200/-	30 दिन
6	2025_UAD_418398_4	वार्ड क्रमांक 46 अंतर्गत विभिन्न मार्गो पर डामरीकरण कार्य।	1694380/-	33900/-	60 दिन
7	2025_UAD_443670_2	ग्रैण्ड होटल परिसर के पीछे से मुख्यमार्ग तक नाली निर्माण कार्य ।	1693783/-	5720/-	60 दिन
8	2025_UAD_466759_2	वार्ड क्र. 52 स्थित जिला पंचायत उज्जैन परिसर में टेकरेश्वर मंदिर के पास सभा मण्डप निर्माण ।	847445/-	55650/-	90 दिन
9	2025_UAD_471962_1	झोन क्र. 4 वार्ड 50 पंचमपुरा में सी.सी. रोड एवं नाली निर्माण कार्य ।	1627858/-	37300/-	60 दिन

कार्यपालन यंत्री
नगर पालिक निगम उज्जैन

कब्जा नोटिस

जबकि, जना स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी ने वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण एवं प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 की धारा 13 (12) के साथ पठित नियम 3 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उधारकर्ता/सह-उधारकर्ताओं को मांग नोटिस जारी किए हैं, जिनमें उधारकर्ताओं से अनुरोध किया गया है कि वे संबंधित नामों के समक्ष उल्लिखित राशि को उक्त नोटिस की प्राप्ति से 60 दिनों के भीतर उक्त नोटिस में उल्लिखित लागू दरों पर ब्याज सहित चुकाएं, साथ ही भुगतान और/या वसूली की तिथि तक किए गए आकस्मिक व्यय, लागत, शुल्क आदि को भी लागू ब्याज सहित चुकाएं।

क्र. सं.	ऋण संख्या	उधारकर्ता/सह-उधारकर्ता/ गारंटर/बंधककर्ता	13(2) नोटिस दिनांक/ बकाया राशि (रुपये में)	दिनांक/समय और कब्जे का प्रकार
1	32769630000489 & 32769410000492	1) श्री बद्रीलाल, पुत्र. कानाजी, 2) श्रीमती श्यामू बाई, पत्नि बद्रीलाल	18.10.2025 रू. 6,34,675.48 (छह लाख चौंतीस हजार छह सौ पिचहत्तर और अड़तालीस पैसे मात्र) 15.10.2025 तक	दिनांक: 02.01.2026 समय: दोपहर 2:20 बजे प्रतीकात्मक अधिकार
	सुरक्षित संपत्ति का विवरण: प्लॉट/मकान संख्या 89, कुल क्षेत्रफल 1500 वर्ग फुट (139.3546 वर्ग मीटर), उस पर निर्मित सहित, खसरा संख्या 290 और सार्वजनिक गृह संख्या 32 का हिस्सा, ग्राम चिकली में स्थित, ग्राम पंचायत चिकली, जनपद पंचायत तराना, तहसील मकदोन और जिला उज्जैन (मध्य प्रदेश) की सीमा के भीतर। सीमाएँ: पूर्व में: सरकारी नाला, पश्चिम में: सार्वजनिक मार्ग, उत्तर में: कानाजी का मकान और दक्षिण में: लक्ष्मीनारायण का मकान।			
2	47170440000092	1) श्री पवन गेहलोत, पुत्र रामलाल, 2) श्रीमती दुर्गा गेहलोत पत्नि पवन गेहलोत	18.10.2025 रू. 2,24,554.20 (दो लाख चौबीस हजार पांच सौ चौवन और बीस पैसे मात्र) दिनांक 15.10.2025 तक	दिनांक: 02.01.2026 समय: दोपहर 2:45 बजे प्रतीकात्मक अधिकार
	सुरक्षित संपत्ति का विवरण: प्लॉट/मकान संख्या 81 वाली वह पूरी जमीन, जिसका कुल क्षेत्रफल 900 वर्ग फुट (83.61 वर्ग मीटर) है, और उस पर बने निर्माण सहित, ग्राम रूपाखेड़ी में स्थित है, जो ग्राम पंचायत रूपाखेड़ी, तहसील मकदोन/तराना और जिला उज्जैन (मध्य प्रदेश) की सीमा के अंतर्गत आता है। इसकी सीमाएँ इस प्रकार हैं: पूर्व में श्री अनिल का मकान, पश्चिम में सड़क, उत्तर में श्री रामलाल का मकान, और दक्षिण में श्री चतरू का मकान।			
3	45579440001075	1) श्री गोवर्धन सिंह, पुत्र. प्रेम सिंह, 2) श्रीमती सिद्ध बाई, पत्नि प्रेम सिंह, 3) श्रीमान प्रेम सिंह, पत्नी. मोती सिंह, 4) श्रीमति कृपाल सिंह, पत्नी. प्रेम सिंह	18.10.2025, रू. 2,71,309.43 (दो लाख इकहत्तर हजार तीन सौ नौ और तिरतालीस पैसे मात्र) 15.10.2025 तक	दिनांक: 02.01.2026 समय: शाम 03:00बजे प्रतीकात्मक अधिकार
	सुरक्षित संपत्ति का विवरण: मकान/प्लॉट संख्या 38, जिसका क्षेत्रफल 2800 वर्ग फुट है, और उस पर निर्मित भवन सहित, सर्वे संख्या 135, पी.एच. संख्या 09 का हिस्सा, जो पिपलिया बाजार ग्राम में स्थित है, ग्राम पंचायत परसोली, जनपद पंचायत तराना, तहसील मकदों और जिला उज्जैन (मध्य प्रदेश) की सीमा के भीतर आता है। इसकी सीमाएँ इस प्रकार हैं: पूर्व में प्रभुलाल का मकान, पश्चिम में सड़क, उत्तर में सड़क और दक्षिण में श्री प्रधान जी का मकान।			
4	47170430000432	1) श्री कमल सिंह, पुत्र बापू सिंह, 2) श्रीमती भगत बाई परिहार, पत्नी. -बापू सिंह	18.10.2025 रू. 1,96,608.46 (एक लाख छियानवे हजार छह सौ आठ और छियालीस पैसे मात्र) 15.10.2025 तक	दिनांक: 02.01.2026 समय: शाम 04:40 बजे प्रतीकात्मक अधिकार
	सुरक्षित संपत्ति का विवरण: मकान/प्लॉट संख्या 121, जिसका क्षेत्रफल 1000 वर्ग फुट है, और उस पर निर्मित भवन सहित, सर्वे संख्या 306, पी.एच. संख्या 63 का हिस्सा, ग्राम मंजुखेड़ी में स्थित है, जो ग्राम पंचायत धबला पिलोन, तहसील बड़ोद और जिला आगर (मध्य प्रदेश) की सीमा के अंतर्गत आता है। इसकी सीमाएँ इस प्रकार हैं: पूर्व में धीरप सिंह का मकान, पश्चिम में मेहरबान सिंह का मकान, उत्तर में बद्री सिंह का मकान और दक्षिण में सार्वजनिक मार्ग।			
5	30369610000263, 30369630000358 & 30369410000351	1) श्री रोहन सोनी, पिता महेंद्र सोनी, जिनका निधन हो चुका है, जिनका प्रतिनिधित्व उनके कानूनी प्रतिनिधि श्री नमन बंसल, पुत्र दीपक बंसल कर रहे हैं। 2) श्रीमती नीता सोनी, पत्नी महेंद्र सोनी	24.10.2025, रू. 10,10,689.46 (दस लाख दस हजार छह सौ नवासी और छियालीस पैसे मात्र) 25.10.2025 तक	दिनांक: 02.01.2026 समय: दोपहर 1:34 बजे प्रतीकात्मक अधिकार
	सुरक्षित संपत्ति का विवरण: श्री निकेतन भवन, बड़ी बरखेड़ी, कलारी वाली गली, बरखेड़ी, नगर निगम वार्ड संख्या 42, तहसील हुजूर, जिला भोपाल (मध्य प्रदेश) में स्थित चार मंजिला मकान संख्या 89, जिसका कुल क्षेत्रफल 843 वर्ग फुट (78.35 वर्ग मीटर) है, की पूरी संपत्ति। इसकी सीमाएँ पूर्व में श्री मदन कुमार जी के मकान संख्या 88, पश्चिम में श्रीमती गिंदो बाई के मकान संख्या 71, उत्तर में कलारी वाली गली और दक्षिण में श्री नारायणदास जी के मकान से लगती हैं।			
6	45570430000207	1) श्री दिनेश, पुत्र आतराम, 2) श्रीमती माया बाई, पत्नी दिनेश	27.10.2025 रू. 2,70,436.72 (दो लाख सत्तर हजार चार सौ छत्तीस और बहत्तर पैसे मात्र) 26.10.2025 तक	दिनांक: 03.01.2026 समय: सुबह 09:35 बजे प्रतीकात्मक अधिकार
	सुरक्षित संपत्ति का विवरण: प्लॉट/मकान संख्या 43/2 का वह पूरा टुकड़ा, जिसका कुल क्षेत्रफल 750 वर्ग फुट (69.67 वर्ग मीटर) है, और उस पर निर्मित भूमि सहित, पी.एच. संख्या 64, वार्ड संख्या 13, ग्राम सिकंदरखेड़ा में स्थित है, ग्राम पंचायत सिकंदरखेड़ा, तहसील बड़नगर, जिला उज्जैन (मध्य प्रदेश) की सीमा के भीतर। इसकी सीमाएँ इस प्रकार हैं: पूर्व में खाली प्लॉट, पश्चिम में श्री प्रकाश का मकान, उत्तर में खाली जगह और दक्षिण में सड़क।			
7	45579440001010	1) श्री जीतेन्द्र, पुत्र. रामचन्द्र, 2) श्रीमती राजू बाई, पत्नी. रामचन्द्र, 3) श्रीमती आशा बाई पत्नी जीतेन्द्र	18.10.2025, रू. 1,50,921.92 (एक लाख पचास हजार नौ सौ इक्कीस और बानवे पैसे मात्र) 15.10.2025 तक	दिनांक: 03.01.2026 समय: सुबह 11:15 बजे प्रतीकात्मक अधिकार
	सुरक्षित संपत्ति का विवरण: मकान/प्लॉट संख्या 162, जिसका क्षेत्रफल 850 वर्ग फुट है, और उस पर निर्मित भवन सहित, सर्वे संख्या 404/2, पी.एच. संख्या 52 का हिस्सा, ग्राम हरसोदन में स्थित है, जो ग्राम पंचायत हरसोदन, तहसील एवं जिला उज्जैन (मध्य प्रदेश) की सीमा के अंतर्गत आता है। इसकी सीमाएँ इस प्रकार हैं: पूर्व में मोहन का मकान, पश्चिम में राजू बाई का मकान, उत्तर में जितेंद्र पटेल का मकान और दक्षिण में सार्वजनिक सड़क।			
8	47170430000277	1) श्री गोकुल, रमेश के पुत्र, 2) श्रीमती जीना बाई, गोकुल की पत्नी	18.10.2025 रू. 3,48,461.90 (तीन लाख अड़तालीस हजार चार सौ ईकसठ और नब्बे पैसे मात्र) 15.10.2025 तक	दिनांक: 03.01.2026 समय: दोपहर 1:55 बजे प्रतीकात्मक अधिकार
	सुरक्षित संपत्ति का विवरण: मकान/संपत्ति संख्या 01/34, कुल क्षेत्रफल 1000 वर्ग फुट (92.903 वर्ग मीटर), उस पर निर्मित मकान सहित, मकान संख्या 52, ग्राम बरखेड़ी बाजार, ग्राम पंचायत बरखेड़ी बाजार, तहसील महिदपुर, जिला उज्जैन (मध्य प्रदेश) की सीमा के भीतर स्थित है। इसकी सीमाएँ इस प्रकार हैं: पूर्व में: हिमत्सिंग की भूमि, पश्चिम में: स्वयं की खुली भूमि और सड़क, उत्तर में: श्री ईश्वर सिंह का मकान और दक्षिण में: सड़क।			
9	36419610000242	1) श्री मानसिंह राजपूत, पुत्र भगवानसिंह राजपूत, 2) श्रीमती उमराव बाई राजपूत, पत्नि मानसिंह राजपूत	18.10.2025, रू. 8,04,426.38 (आठ लाख चार हजार चार सौ छब्बीस और अड़तीस पैसे मात्र) 15.10.2025 तक	दिनांक: 03.01.2026 समय: शाम 04:05 बजे प्रतीकात्मक अधिकार
	सुरक्षित संपत्ति का विवरण: ग्राम पंचायत अभिलेख के अनुसार मकान संख्या 26 वाली वह भूमि, जिसका क्षेत्रफल 1080 वर्ग फुट (100.37 वर्ग मीटर) है, और उस पर निर्मित भवन सहित, ग्राम आनंदगढ़, मकान संख्या 27, सर्वे संख्या 317/1/2/1 के अंतर्गत, ग्राम पंचायत हिंगाड़ी, तहसील आलोत, जिला रतलाम (मध्य प्रदेश) की सीमा के भीतर स्थित है। इसकी सीमाएँ इस प्रकार हैं: पूर्व : स्वयं की भूमि और सड़क, पश्चिम: पूरन सिंह का मकान, उत्तर: अन्य का मकान और दक्षिण: स्वयं की भूमि।			
10	36419440000514 & 36419410000379	1) श्री देवी सिंह, पुत्र चेन सिंह 2) श्री राजेश, पुत्र चेन सिंह 3) श्रीमती सोना बाई, पत्नी देवी सिंह	18.10.2025, रू. 6,39,095.51 (छह लाख उनचालीस हजार पिनच्यानवे और इक्यावन पैसे मात्र) दिनांक तक	दिनांक: 03.01.2026 समय: शाम 5:00 बजे प्रतीकात्मक अधिकार
	सुरक्षित संपत्ति का विवरण: मकान/प्लॉट संख्या 545 का वह पूरा भूखंड, जिसका क्षेत्रफल 1120 वर्ग फुट (104.08 वर्ग मीटर) है, और उस पर निर्मित भवन सहित, सर्वे संख्या 334, पी.एच. संख्या 27 का हिस्सा, ग्राम भंडला में स्थित है, जो ग्राम पंचायत रूपेता, जनपद पंचायत खाचरोद, तहसील नागदा और जिला उज्जैन (मध्य प्रदेश) की सीमा के भीतर आता है। इसकी सीमाएँ इस प्रकार हैं: पूर्व में: मोहन का मकान, पिता पूना, पश्चिम में: सरकारी भवन, उत्तर में: मोहन की जमीन, पिता पूना और दक्षिण में: सड़क।			

चूंकि, ऊपर उल्लिखित उधारकर्ता/सह-उधारकर्ता/गारंटर/बंधककर्ता देय राशि का भुगतान करने में विफल रहे हैं, इसलिए विशेष रूप से ऊपर उल्लिखित उधारकर्ताओं और आम जनता को सूचित किया जाता है कि जन लघु वित्त बैंक लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 13 (4) के तहत उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त वर्णित संपत्तियों/सुरक्षित परिसंपत्तियों को उक्त नियमों के नियम 8 के साथ उपरोक्त तिथियों पर अपने कब्जे में ले लिया है। विशेष रूप से ऊपर उल्लिखित उधारकर्ताओं/सह-उधारकर्ताओं/गारंटर/बंधककर्ताओं और आम जनता को एतद्द्वारा चेतावनी दी जाती है कि वे उपरोक्त संपत्तियों/सुरक्षित परिसंपत्तियों से संबंधित कोई भी लेन-देन न करें और उक्त संपत्तियों/सुरक्षित परिसंपत्तियों से संबंधित कोई भी लेन-देन जन लघु वित्त बैंक लिमिटेड के प्रभार के अधीन होगा।

स्थानः इन्दौर
दिनांकः 06.01.2026

एसडी/- प्राधिकृत अधिकारी,
जन स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के लिए

JANA SMALL FINANCE BANK (A Scheduled Commercial Bank)

पंजीकृत कार्यालयः द फेयरवे, भूतल एवं प्रथम तल, सर्वेक्षण क्रमांक 10/1, 11/2 एवं 12/2बी, डोम्लुर के पास, कोरमंगला इनर रिंग रोड, ईजीएल बिजनेस पार्क के बगल में, चल्लघट्टा, बेंगलुरु-560071। शाखा कार्यालयः प्लॉट क्रमांक 306-ए, पीयू 4, स्कीम क्रमांक 54, कंट्री इन होटल के पास, मेन ए.बी. रोड, विजय नगर, इंदौर-452010।

अवैध खनन के विरुद्ध विभाग ने दिसम्बर में जब्त किए 574 वाहन

पटना, 05 जनवरी. बिहार खान एवं भूतत्व विभाग ने दिसंबर में अवैध परिवहन में संलिप्त 574 वाहनों को जब्त किया है. बिहार सरकार के खान एवं भूतत्व विभाग की ओर से राज्य भर में अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण के विरुद्ध सघन अभियान चलाया जा रहा है. दिसम्बर में पूरे राज्य में विभाग द्वारा कुल 4,582 जगहों पर छापेमारी हुई, जिसमें सर्वाधिक 331 छापेमारी औरंगाबाद में की गई. इस माह अवैध परिवहन में संलिप्त 574 वाहनों को जब्त किया गया. एक माह में कुल 248 प्राथमिकियां दर्ज हुई जिसमें सर्वाधिक 15 गिरफ्तारियां पटना में हुई. खान एवं भूतत्व मंत्री विजय कुमार सिन्हा के नेतृत्व में कुशल प्रबंधन एवं नियमित अनुश्रवण के फलस्वरूप खान एवं भूतत्व विभाग द्वारा दिसंबर 2025 तक के वार्षिक राजस्व लक्ष्य के मुकाबले 102 प्रतिशत राजस्व हासिल किया गया है.

IN THE HIGH COURT OF DELHI AT NEW DELHI
(Notice Under Order V Rule 20 Code of Civil Procedure)
RSA 28/2017 & CM APPL. 72200/2024 and 72202/2024

Appeal against the order dated **28/07/2016**
Passed by Sh. Virender Kumar Goyal, Additional District Judge-01, East District, Karkardooma Courts, Delhi in RCA No. 151/16/10.

DEVI SINGH (DECEASED THR LRS) & ORS Appellant(s)

Vs

MAHESH CHAND (DECEASED THR LRS) & ORS Respondent(s)

Notice to the Respondent No. 6 :-

R-6 Smt. Santa Chaturvedi
W/o Sh. Rajiv Kumar Chaturvedi
R/o Near Ghanta Ghar
Khandwa, Madhya Pradesh, (MP)

Whereas the above noted appellant has presented an **appeal u/S 100 of CPC.** And whereas the said appeal was listed before the Court on **10/12/2024** and the Court ordered issuance of notices to you . And whereas it has been proved to the satisfaction of the Court that you cannot be served in the ordinary manner. Notice is hereby issued that if you wish to defend the above mentioned appeal, you may cause an appearance to be entered on your behalf either in person or through an advocate duly appointed by you for the purpose before the Court of the **Joint Registrar (Judicial) on 08/01/2026 (Actual) at 11:00 AM**

If no appearance is made on your behalf, by yourself, your pleader or someone authorised by law to act for you in the said appeal on the aforementioned date, no further notice of the subsequent date of hearing of the said appeal will be given to you and the said appeal will be heard and determined ex-parte in your absence.

Given under my hand and the seal of the Court on this **22nd day of December, 2025.**

Assistant Registrar(J) C-I
For Registrar General

फीनिक्स एआरसी प्राइवेट लिमिटेड

PhoenixARC

पंजीकृत कार्यालयः तीसरी मंजिल, वालेस टावर 139-140/बी/1, सहार रोड और वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे क्रॉसिंग, विले पार्ले (पूर्व) मुंबई - 400 057. **दूरभाषः** 022- 6849 2450, फैक्सः 022- 6741 2313
सीआईएनः U67190MH2007PTC168303 **ईमेलः** info@phoenixarc.co.in, **वेबसाइटः** www.phoenixarc.co.in

ई-नीलामी सह बिक्री के लिए सार्वजनिक सूचना

वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत अचल संपत्तियों की बिक्री हेतु ई-नीलामी बिक्री सूचना, प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 और 9 के प्रावधानों के साथ। इसके द्वारा आम जनता और विशेष रूप से उधारकर्ताओं/गारंटरों/बंधककर्ताओं को सूचित किया जाता है कि मोतीलाल ओसवाल होम फाइनेंस लिमिटेड (जिसे पहले एस्पायर होम फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड - समनुदेशक के रूप में जाना जाता था) द्वारा ऋण के समनुदेशन के अनुसरण में फीनिक्स एआरसी प्राइवेट लिमिटेड को गिरवी रखी गई निम्नलिखित संपत्ति, बकाया राशि और आगे के ब्याज, शुल्क और लागत आदि की वसूली के लिए "जैसी है जहाँ है, जैसी है और बिना किसी सहारे के" के आधार पर "ऑनलाइन ई-नीलामी" के माध्यम से बेची जाएगी, जैसा कि प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम के नियम 8 और 9 के साथ सरफेसी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार नीचे विस्तार से बताया गया है। 2002) को वेबसाइटः www.phoenixarc.co.in/ के माध्यम से नीचे दिए गए विवरण के अनुसार खरीदा जा सकता है।

ई-नीलामी की तिथि और समयः 27.01.2026 / सुबह 11:00 बजे से दोपहर 2:00 बजे तक (प्रत्येक 15 मिनट के लिए असीमित विस्तार के साथ)

सं. क्र.	उधारकर्ता/सह-उधारकर्ता/ ऋण खाता	मांग सूचना की तिथि और राशि	अचल संपत्ति का विवरण	आरक्षित मूल्य, अग्रिम राशि और अग्रिम राशि जमा करने की अंतिम तिथि
1	लैनः LXBHO00316-170024062, शाखाः भोपाल उधारकर्ताः मोहन सिंह मान सिंह राजपूत सह-उधारकर्ताः पुष्पा मोहन सिंह राजपूत गारंटर : नर्बत सिंह कालूराम कुंभकार	29-09-2018 के लिए रू. 1746389/- (सत्रह लाख छियालीस हजार तीन सौ नवासी मात्र)	प्लॉट नंबर सी- 34 35 और 36, गोकुल वृन्दावन नगर, ग्राम किसोनी, जिला- शाजापुर गोकुल, कालापीपा, एल शाजापुर-465333 मध्य प्रदेश	आरक्षित मूल्यः रू. 350000/- (तीन लाख पचास हजार मात्र) ईएमडीः रू. 35000/- (पैंतीस हजार रुपये मात्र) ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथिः 26.01.2026

ई-नीलामी के नियम और शर्तें: 1. नीलामी बोली दस्तावेज के आगे के नियमों और शर्तों और उसमें निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आयोजित की जाती है। बोलीदाता बोली संबंधी जानकारी और सहायता, ई-नीलामी के लिए रखी गई सुरक्षित संपत्ति का विवरण और ऑनलाइन जमा किए जाने वाले बोली फॉर्म के लिए हमारे ई-नीलामी सेवा प्रदाता, मेसर्स मेसर्स आर्का ईमार्ट प्राइवेट लिमिटेड वेब पोर्टलः https://www.auctionbazaar.com/ पर जा सकते हैं। इच्छुक खरीदार उसी पोर्टल पर नीलामी के नियम और शर्तें और प्रक्रिया देख सकते हैं और तरुण रघुवंशी 9329414448 और विजय सिंह 9372505110, शैलेश अयंगर 9833801159 से संपर्क कर सकते हैं, विवरण उपर्युक्त वेब पोर्टल पर उपलब्ध हैं और उनके केंद्रीकृत हेल्प डेस्कः +91 83709 69696, ई-मेल आईडीः contact@auctionbazaar.com पर संपर्क कर सकते हैं। 2. सभी इच्छुक क्रेताओं/बोलीदाताओं को उपरोक्त पोर्टल https://www.auctionbazaar.com/ पर अपना नाम पंजीकृत कराना होगा और उपरोक्त तिथि और समय पर ई-नीलामी में भाग लेने के लिए निःशुल्क यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त करना होगा। 3. ई-नीलामी में भाग लेने के लिए, इच्छुक क्रेताओं/बोलीदाताओं को सुरक्षित संपत्ति के आरक्षित मूल्य के 10% की वापसी योग्य बयाना राशि के भुगतान का विवरण, पैनकार्ड की प्रतियों, कंपनी के मामले में बोर्ड के प्रस्तावों और पते के प्रमाण के साथ उपरोक्त ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि तक या उससे पहले जमा करना होगा। इच्छुक क्रेताओं/बोलीदाताओं को ऊपर वर्णित प्रत्येक वस्तु/संपत्ति के लिए अलग-अलग ईएमडी जमा करनी होगी। 4. नीलामी के किसी भी चरण में, प्राधिकृत अधिकारी बिना कोई कारण बताए और बिना किसी पूर्व सूचना के बोली/प्रस्ताव को स्वीकार/अस्वीकार/संशोधित/रद्द कर सकता है या नीलामी स्थगित कर सकता है। 5. सफल क्रेता/बोलीदाता को लागू कानून के अनुसार सुरक्षित संपत्ति को अपने पक्ष में हस्तांतरित/सुपुर्द करवाने के लिए देय सभी वैधानिक बकाया, कर, देय शुल्क, क्रय मूल्य पर लागू जीएसटी, स्टांप शुल्क, पंजीकरण शुल्क आदि का भुगतान करना होगा। 6. इच्छुक बोलीदाताओं को अपनी बोली जमा करने से पहले, भार, नीलामी में रखी गई सुरक्षित संपत्ति के स्वामित्व और सुरक्षित संपत्तियों को प्रभावित करने वाले दावों/अधिकारों/बकायों, जिनमें वैधानिक बकाया आदि शामिल हैं, के बारे में अपनी स्वतंत्र जांच करनी चाहिए। नीलामी विज्ञापन फीनिक्स की किसी भी प्रतिबद्धता या प्रतिनिधित्व का गठन नहीं करता है और न ही करेगा। फीनिक्स का अधिकृत अधिकारी किसी भी तीसरे पक्ष के दावों/अधिकारों/बकायों के लिए किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं होगा। 7. संभावित/इच्छुक बोलीदाता को यह वचन देना होगा कि वह दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता, 2016 की धारा 29 (ए) के प्रावधानों के अनुसार अयोग्य नहीं है और केवाईसी दस्तावेजों के साथ ऐसा वचन देने में विफल रहने पर उसे स्वतः ही अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा या उसकी बोली अस्वीकार कर दी जाएगी।

स्थानः मध्य प्रदेश
दिनांकः 06.01.2026

अनुवाद में त्रुटिया विसंगति होने पर अंग्रजी संस्करण मान्य होगा

एसडी/-
प्राधिकृत अधिकारी, फीनिक्स एआरसी प्राइवेट लिमिटेड